

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, /विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम
अम्बेडकर नगर ।

विद्युत फौजदारी वाद संख्या:-47 / 2021

सी.एन.आर.नं. यूपीएन 010006842021

राज्य-बनाम-माहिर मेंहदी आदि

मु0अ0सं0-279 / 2018

धारा-135(1)ए विद्युत अधिनियम

थाना-को0 अकबरपुर

जिला-अम्बेडकरनगर

बयान मुल्जिम (राष्ट्रीय लोक अदालत)

नाम-शहीन पत्नी फैजुद्दीन निवासी मीरानपुर, थाना अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर ।

प्रश्न 1:- यह कि दिनांक-10.08.2018 विद्युत विभाग चेकिंग अभियान के दौरान जॉच में यह पाया गया कि आप द्वारा अवैध रूप से विद्युत चोरी किया किया जा रहा था, जोकि 1 किलोवाट था, जो कि भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135(1)ए के अंतर्गत विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- कुछ नहीं ।

प्रश्न 2:- क्या आप अपना जुर्म स्वेच्छया से स्वीकार कर रहे हैं? आपको दोष सिद्ध किया जा सकता है?

उत्तर :- जी हां ।

प्रश्न 3:- क्या कुछ और कहना है ?

उत्तर:- कुछ नहीं ।

सुनकर तस्दीक किया

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
बयान मेरे द्वारा आशुलिपिक से कम्प्यू0 लोक अदालत में
लेखबद्ध कराया गया ।

हस्ताक्षर अभियुक्त

दिनांक 13.09.2025

(डॉ0 जया पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0-1 /
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधि0
अम्बेडकर नगर ।

आदेश

अभियुक्त शहीन को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135(1)ए के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए उसे मु0-4,000/- (चार हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा। अभियुक्त यदि अर्थदण्ड जमा करता है तो अभियुक्त के विरुद्ध प्रचलित वाद कार्यवाही समाप्त की जाए।

दिनांक 13.09.2025

(डॉ० जया पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1/
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधि०
अम्बेडकर नगर ।
जे०ओ०कोड नं०-यू०पी० 5946